



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 2019/चैत्र 8, 1941

No. 114]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 2019/CHAITRA 8, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 29 मार्च, 2019

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरो का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/06.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में,  
विनियम 10 में,-
  - उप-विनियम (1) में,-
    - खंड (घ) में,-

क. उप-खंड (ii) में, शब्दों "या सक्षम प्राधिकारी" का लोप हो जाएगा;

ख. उप-खंड (iii) में, शब्दों “या सक्षम प्राधिकारी” का लोप हो जाएगा।

ii. खंड (झ) में,-

क. शब्द तथा चिह्न “लाई गई ऋण पुनर्संरचना स्कीम (डैट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम)” शब्दों तथा चिह्नों “की गई ऋण पुनर्संरचना (डैट रीस्ट्रक्चरिंग)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;

ख. मौजूदा परंतुक निम्नलिखित परंतुक से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के विनियम 158 के उप-विनियम (6) के तहत निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए।”

ग. परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनार्थ, “उधारदाताओं” से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ अभिप्रेत होंगी।”

iii. खंड (झक) का लोप हो जाएगा।

II. उप-विनियम (2) का लोप हो जाएगा।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन- III/4/असा./591/18]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, 23 सितम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. मूल विनियम तत्पश्चात् :
  - (क) 26 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/36/7368, द्वारा
  - (ख) 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
  - (ग) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

- (घ) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/28/542, द्वारा
- (ङ) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एन.आर.ओ./ ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/004, द्वारा
- (च) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/009, द्वारा
- (छ) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/026, द्वारा
- (ज) 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/035, द्वारा
- (झ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/002, द्वारा
- (ञ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा
- (ट) 14 अगस्त, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/015, द्वारा
- (ठ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/20, द्वारा
- (ड) 11 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/33, द्वारा

- (ढ) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/55, द्वारा

संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA  
NOTIFICATION**

Mumbai, the 29th March, 2019

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2019**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/06.**— In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, namely:

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2019.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, in regulation 10,-
  - I. in sub-regulation (1),-
    - i. in clause (d), -
      - a. in sub-clause (ii), the words “or a competent authority” shall be omitted;
      - b. in sub-clause (iii), the words “or a competent authority” shall be omitted.
    - ii. in clause (i), -
      - a. the word “scheme” shall be omitted;
      - b. the existing proviso shall be substituted with the following proviso, namely,-
 

“Provided that the conditions specified under sub-regulation (6) of regulation 158 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 are complied with.”
      - c. after the proviso, the following explanation shall be inserted, namely,-
 

“*Explanation.* – For the purpose of this clause, “lenders” shall mean all scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks) and All India Financial Institutions.
    - iii. clause (ia) shall be omitted.
  - II. sub-regulation (2) shall be omitted

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./591/18]

**Footnotes:**

1. The SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 23rd September, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/24/30181.
2. The Principal Regulations were subsequently amended on:
  - (a) March 26, 2013 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/36/7368.
  - (b) October 8, 2013 by the SEBI (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
  - (c) May 23, 2014 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
  - (d) March 24, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/28/542.
  - (e) May 5, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/OIAE/GN/2015-16/004.
  - (f) August 14, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/009.
  - (g) December 22, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/026.
  - (h) February 17, 2016 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/035.
  - (i) May 25, 2016 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/002.
  - (j) March 6, 2017 by SEBI (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated March 29, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/38.
  - (k) August 14, 2017 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2017 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/015.
  - (l) June 01, 2018 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2018 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/20.
  - (m) September 11, 2018 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2018 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/33.
  - (n) December 31, 2018 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2018 No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2018/55.